राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर,(अजमेर) जिला - अजमेर जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांकः RJ/2017/राजस्य विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /19225945052 दिनांक:27-09-2019 आवेदक का आधार नम्बर :931386425943

बावेदक/परिवार के मुखिया का भागाशह कार्ड संख्या: 1027-D1FS-22233

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आयुष कश्यप पुत्र/पुत्री श्री अरविंद कुमार गांव/नगर ३९०, अरविन्द कुमार, अखाड़े वाली गली, वार्ड न: - 37, जोन्स गंज, अजमेर जिला/डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 17 JATAV (17 जाटव) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुस्चित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950. संविधान (अनुसूचित बनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित वाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति सूचीयां (संशोधन) आदेश 1956, बन्दर्श राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (एनगॅठन अधिनियम 1971 और अनुसूचित बाति तथा अनुसूचित बनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (जन्म व कश्मीर) अनुसूचित बाति आदेश 1956, अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (अक्षान क्या निकाबार द्वीम 1976 प्रारा क्या संशोधित संविधान (अक्षान तथा निकाबार द्वीम सनूद्र) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेती) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेती) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (वादेशी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गाओ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गाओ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गाओ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गाओ, दमन तथा दीव)

श्री आयुष कश्यप गांव/नगर 3९०, अरविन्द कुमार, अखाड़े वाली गली, वार्ड न: - 37, बोन्स गंब, अबमेर जिला / डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्त्रान में समान्यतया रहता / रहती है।

सोर

- 1. यहां प्रयोग साधारवत: निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में हैं।
- 2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विश्वाम की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.चे.ई./कम्प्यू /ई.ची./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उथरोक प्रमाण-यत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-ट्रस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-यत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 4. प्राची द्वारा प्रस्तुत किये गए मृत आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 6. बार्वी को नारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया ना सकता है। टोकन संख्या: 190235887866

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, (अजमेर)

Signature valid

Digitally signed by ATIKA SHUKBA 111 Date: 15:24:37 +05:38 Reason. Location: Neasthan

